संख्या– 512 /33–3–2022–27 / 2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक: 30 मार्च, 2022

विषय– पंचायत कल्याण कोष स्थापित व संचालित किए जाने हेतु गाइडलाइन / दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2350 / 33–3–2021–2257 / 2021 दिनांक 16.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पंचायतों के अधिकार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय की वृद्धि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सहायता धनराशि दिए जाने हेतु राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष के गठन व संचालन किया जाना है।

2– इस सम्बन्ध में राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पंचायत कल्याण कोष गठित कर संचालित किए जाने की कार्यवाही निम्नवत की जाएगी :–

(I) कोष का नामः पंचायत कल्याण कोष, उत्तर प्रदेश।

(II) पंचायत कल्याण कोष का उद्देश्यः– जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में (आत्महत्या / आपराधिक कृत्य में सम्मिलित होने की स्थिति को छोड़कर) उनके परिवार या आश्रितों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य वित्त आयोग की आवंटित अनुदान से धनराशि संरक्षित कर राज्य स्तर पर पंचायत कल्याण कोष स्थापित किया जायेगा।

(III) पंचायत कल्याण कोष से आश्रितों को दिये जाने वाली धनराशि की सीमाः–

पंचायत प्रतिनिधि (अध्यक्ष–जिला पंचायत, प्रमुख–क्षेत्र पंचायत, प्रधान–ग्राम पंचायत, सदस्य, जिला पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत) की मृत्यु की दशा में सहायता राशि निम्नवत होगी :–

(क) प्रधान ग्राम पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत – रु. 10 लाख।
(ख) सदस्य, जिला पंचायत –रु. 5 लाख।
(ग) सदस्य, क्षेत्र पंचायत –रु. 3 लाख।
(घ) सदस्य, ग्राम पंचायत –रु. 2 लाख।

Scanned with CamScanner

(IV) आवेदन की प्रक्रियाः–

(क) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाइट prdfinance.up.gov.in पर विकसित पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जायेगा।

(ख) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित द्वारा पंचायत कल्याण कोष के निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हुए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फीज किया जायेगा।

(ग) पोर्टल पर आश्रित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 से डाउनलोड कर परीक्षणोंपरान्त पत्रावली पर जिलाधिकारी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(घ) जिलाधिकारी के स्वीकृत के उपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र को अपने लॉगिंन आई0डी0 से निदेशक पंचायतीराज को धनराशि हस्तान्तरण हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

(V) राज्य स्तर से धनराशि का हस्तान्तरणः–

(क) पंचायत स्तर से सम्बन्धित निर्वाचित प्रतिनिधि के आश्रित/परिवार के द्वारा किये गये आवेदन को जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के अग्रसारित किये जाने के उपरान्त निदेशालय के पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा डाउनलोड किया जायेगा।

(ख) पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित के द्वारा किये गये आवेदन को पोर्टल से डाउनलोड करने के उपरान्त धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट किये जाने के लिए निदेशक पंचायतीराज से अनुमोदन/स्वीकृति लिया जायेगा।

(ग) निदेशक पंचायतीराज के अनुमोदनोपरान्त उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 टीम द्वारा पी0एफ0एम0एस0–डी0बी0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित आश्रित व्यक्ति के खाते में धनराशि हस्तान्तरण हेतु पी0पी0ए0 जनरेट की जायेगी।

(घ) नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग एवं निदेशक पंचायतीराज द्वारा पी0पी0ए0 पर हस्ताक्षर उपरान्त मात्राकृत धनराशि आवेदक के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(ड़) धनराशि के हस्तान्तरण उपरान्त आवेदक के मो0 नं0 पर सीधे सूचित करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को धनराशि हस्तान्तरण की सूचना दी जाएगी।

(VI)– आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखः–

(क) पंचायत प्रतिनिधि के आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, की प्रति।
(ख) प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।

Scanned with CamScanner

(ग) ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण–पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(VII) पंचायत कल्याण कोष का बजट मदः–

- पंचायत कल्याण कोष के बजट व्यवस्थाएं हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से 50 करोड़ रु0 के लागत की रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना राज्य स्तर पर की जायेगी। कल्याण कोष हेतु प्राविधानित 50 करोड़ की धनराशि हेतु राज्य वित्त आयोग की वर्ष में आवंटित होने वाली प्रत्येक किस्त में समानुपातिक रुप से विभाजित करते हुए उक्त धनराशि कल्याण कोष हेतु रोक कर शेष धनराशि तीनों स्तर पर वितरित की जायेगी।

- राज्य स्तर पर SFC PANCHAYAT KALYAN KOSH के नाम से नोडल अधिकारी राज्य वित्त एवं निदेशक पंचायतीराज के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जायेगा, जिसमें उक्त धनराशि संरक्षित की जायेगी। इस खाते में प्राप्त ब्याज को भी कल्याण कोष में अन्तरित धनराशि माना जायेगा।

(VIII) निदेशालय स्तर पर पंचायत कल्याण कोष प्रकोष्ठ स्थापित किया जानाः–

पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रित व्यक्ति/परिवार हेतु सहायता धनराशि दिये जाने हेतु गठित पंचायत कोष के क्रियान्वयन व संचालन हेतु पंचायतीराज निदेशालय में पंचायत कल्याण प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा, जिसके प्रभारी नोडल अधिकारी राज्य वित्त आयोग होंगे। प्रकोष्ठ में समस्त कार्यवाही के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु दो कन्सल्टेन्ट (01 तकनीकी व 01 अनुश्रवण व पर्यवेक्षण), एक पटल सहायक व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की जायेगी। प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले तकनीकी कन्सल्टेन्ट की योग्यता बी0टेक/बी0ई0, आई0टी0 या सी0एस0, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण कन्सल्टेन्ट की योग्यता एम0बी0ए0 होगी।

(IX) पंचायत कल्याण कोष हेतु तकनीकी व प्रशासनिक व्यय का प्राविधानः–

पंचायत कल्याण कोष के प्राप्त आवेदनों को समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही करने व निर्वाचित प्रतिनिधि के सम्बन्धित आश्रित को निर्धारित धनराशि के भुगतान हेतु, राज्य स्तर पर स्थापित अनुश्रवण प्रकोष्ठ एवं जनपद स्तर पर उक्त कार्य में लगने वाले आवश्यक व्यय हेतु कल्याण कोष के प्राविधानित धनराशि में एक प्रतिशत की धनराशि तकनीकी व प्रशासनिक मद हेतु मात्राकृत किया जायेगा। इस धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 होंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

30.3.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त/न्याय/कार्मिक/ग्राम्य विकास/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/नियोजन/ग्रामीण अभियंत्रण एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त ग्राम प्रधानगण एवं सचिव, उत्तर प्रदेश।
18. पंचायतीराज अनुभाग—1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

पंचायत कल्याण कोष से सहायता धनराशि हेतु पोर्टल पर आवेदन का प्रारुप

निर्वाचित प्रतिनिधि का विवरणः–

मृतक निर्वाचित प्रतिनिधि का नामः–
निर्वाचित पद का नामः–

पता– ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....

जनपद.....पिन कोड.....

मृत्यु का दिनांकः–

मृत्यु का कारणः–

–:आवेदक का विवरणः–

आवेदक का नामः–
मृतक व्यक्ति से सम्बन्धः–
आवेदक का पताः– ग्राम.....पोस्ट.....तहसील.....

जनपद.....पिन कोड.....मो0 नं0–
आधार कार्ड/पहचान पत्र नं0:–.....

बैंक विवरण– एकाउण्ट नं0.....आई0एफ0एस0सी0 कोड.....

बैंक का नाम.....ब्रान्च.....

अभिलेखः– मृत्यु प्रमाण–पत्र (पी0डी0एफ0) बैंक पासबुक .....(पी0डी0एफ0)

निर्वाचित व्यक्ति के पद के प्रमाणीकरण के अभिलेख.....(पी0डी0एफ0)

(फ्रीज/अनफ्रीज)

(उक्त विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

मृतक निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम .....पद नाम.....पता.....

आवेदक का नाम .....पता.....

आवेदक के द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं का सत्यापन कर लिया गया है। आवेदन में दी गई समस्त सूचनाएं सही पायी गई है। आश्रित आवेदक को उक्त सहायता की धनराशि की संस्तुति की जाती है।

संस्तुत न किये जाने की दशा में मंतव्य.....

हस्ताक्षर.....नाम.....जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद–.....
(पी.डी.एफ. डाउनलोड) (पी.डी.एफ. अपलोड)

* जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा डाउनलोड के उपरान्त आवेदक के विवरण का परीक्षण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति उपरान्त पोर्टल पर अपलोड कर निदेशक पंचायतीराज को अग्रसारित किया जायेगा।

Amit Srl.

Scanned with CamScanner